आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Tribal Development Department

Vocational Education Maintenance Allowance

व्यावसायिक कोर्स के अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए सालाना निर्वाह भत्ता, यदि माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये तक हो।

क्या मिल सकता है

कोर्स की अवधि के अनुसार निर्वाह भत्ता, छात्रावास और घर से आने वालों के लिए। 4 से 5 साल के कोर्स: 7,000 और 10,000 रुपये सालाना। 2 से 3 साल के कोर्स: 5,000 और 7,000 रुपये सालाना। 2 साल या कम के कोर्स: 5,000 और 5,000 रुपये सालाना।

किसके लिए है

व्यावसायिक कोर्स में नामांकित अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जिनके माता-पिता की आय 2.5 लाख रुपये तक है।

मुख्य शर्तें

- अनुसूचित जनजाति का
- परिवार की आय 2,50,000 रुपये तक। आय 2,50,000 रुपये से अधिक हो तो विद्यार्थी को फ्रीशिप मिलती है
- व्यावसायिक कोर्स में नामांकित
- किसी साल में फेल होने पर उस साल का भुगतान नहीं होता, और नवीनीकरण के लिए पिछले साल की परीक्षा पास होना ज़रूरी है।

दस्तावेज़

- जाति प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- पिछले साल की अंकतालिका (नवीनीकरण के लिए)
- जाति वैधता प्रमाणपत्र
- कॉलेज के रेक्टर या अधीक्षक की घोषणा

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/SchemeData/SchemeData?str=E9DDFA703C38E51A150D8D3BD5BBF9E579F0BA8D2D926043D82C17776CB73469
आधिकारिक आवेदन: https://mahadbt2.maharashtra.gov.in/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mahadbt-vocational-education-maintenance-allowance-tribal/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।